न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 83/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/205

प्रार्थी:– शिवलाल पुत्र प्रभुराम, जाति जाट, निवासी मैन बाजार अटबड़ा, तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गिरधारीलाल पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी मैन बाजार अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली, राज.
2. मल्लाराम पुत्र प्रभुराम, जाति जाट निवासी मैन बाजार, अटबड़ा तहसील सोजत, जिला पाली
3. श्यामसिंह पुत्र प्रभुराम, जाति जाट निवासी मैन बाजार, अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली
4. ग्राम पंचायत अटबड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली
5. ग्रुप सचिव ग्राम पंचायत अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 17/09/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत अटबड़ा द्वारा मिसल संख्या 57/2017–18 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 7 दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 5 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता प्रभुराम के मालिकाना, स्वामित्व एवं कब्जासुदा भूखण्ड आया हुआ है, जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में मेघवालों की गली आम रास्ता, पश्चिम दिशा में जाटो की निजी गली आम रास्ता, उत्तर दिशा में शिवलाल का मकान तथा दक्षिण दिशा में मलाराम का मकान स्थित है। उक्त सम्पति का कभी भी विधेक बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। सम्पूर्ण सम्पति का अप्रार्थी संख्या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1 ने अपने पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया जबकि प्रार्थी का उक्त भूखण्ड में 1/4 हक हिस्सा निहित है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में विहित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी अप्रार्थी के कब्जेसुदा है, जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रभुरामजी ने अपने जीवनकाल में ही वर्ष 1975 में अपनी सम्पत्ति का बंटवाड़ा कर दिया और चारों पुत्रों को कब्जा सुपूर्द कर दिया। जैर निगरानी आराजी की भूमि तीन भाईयों की है तथा उन सभी के नाम उक्त पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत अटबड़ा द्वारा मिसल संख्या 57/2017–18 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 7 दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी भूखण्ड का केवल अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता ने पूर्व में ही अपनी सम्पत्ति का बंटवाड़ा कर दिया था तथा जैर निगरानी भूखण्ड केवल अप्रार्थी के हिस्से में आया था जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर पाते है कि पट्टाधारक ने अपने आवेदन–पत्र में पुश्तैनी मकान का पट्टा बनवाने का कथन किया। इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि के मौका निरीक्षण प्रपत्र में में मौके पर प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा होना वर्णित है। उपरोक्त तथ्य के सम्बन्ध में उभयपक्ष का यह स्वीकृत कथन है कि जैर निगरानी भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता की सम्पत्ति है अर्थात् प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि जैर आराजी पुश्तैनी है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने पुश्तैनी सम्पत्ति के बंटवाडा के सम्बन्ध में केवल तर्क किये है इसकी ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथना करना स्वीकार्य नहीं। प्रकरण में यह स्वीकृत कथन है कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है और यदि कोई तथ्य उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया हो तो उस तथ्य को पुनः साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

parties then that admission can be used against the party making the admission. साथ ही उपर्युक्त तथ्यों अनुसार जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है, जिसमें सम्बन्धित पक्षकारों को सुना बिना किसी एक व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) WLC 168 (Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950 अनु. 226, पट्टा प्रदान किया जाना–सम्पति पैतृक है तथा याची के साथ ही उसके अन्य जीवित भाईयों व बहिनों का हित (अधिकारी) इसमें है–याची इस भूमि पर पूर्ण रूपेण अपना ही अधिवास होने का दावा करता है, जिससे ग्राम पंचायत ने अकेले ही उसके नाम में, अन्य सह–स्वामियों के आक्षेपों के करने के बाद भी पट्टा जारी किया था–अभिनिर्धारित जब तक विभाजन नहीं हो जाता तथा अंशों का सीमांकन नहीं हो जाता अथवा अन्य सह–स्वामी सहमति नहीं दे देते, तब तक पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है–अतः आदेश द्वारा इसको नामंजूर किया जाना उचित है–किसी हस्तेक्षप की आवश्यकता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी सम्पत्ति का जारी किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों की सुनवाई आवश्यक है, केवल एक व्यक्ति के पक्ष में बिना सभी पक्षकारों को सुने पट्टा जारी करना गलत है क्योंकि सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी वारिसानों के हित और अधिकार समान होते हैं, इसलिये न्यायसंगत निर्णय के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों को अवसर देना आवश्यक होता है। सभी वारिसों को सुनना न्यायिक प्रक्रिया का मूल सिद्धान्त है ताकि किसी का अधिकार हनन न हो। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2024(5) WLC 210(Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950, अनु. 226–ग्राम पंचायत ने बी के पक्ष में पट्टा जारी किया था परन्तु निगरानी में इसे रद्द कर दिया गया–चुनौती–विवादित सम्पत्ति पैतृक है तथा स्वयं बी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है–अन्यथा भी यह एच, बी के पिता के नाम में थी जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री है–अतः एच की मृत्यु होने पर, यह पैतृक सम्पत्ति है–महज लम्बे समय से काबिज होने से पट्टा (स्वामित्व का दस्तावेज) बी को जारी नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया और न ही आवेदन–पत्र पर कोई दिनांक अंकित है। सम्पूर्ण आदेशिका निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है, जिसमें आवेदनकर्त्ता का नाम पृथक से अंकित किया हुआ है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 14.04.2017, जो कि प्रथम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आदेशिका थी, उसमें आवेदनकर्त्ता द्वारा रसीद संख्या 01 दिनांक 14.04.2017 के द्वारा कुल राशि 120/– रूपये जमा करवाना अंकित किया जबकि मिसल की सूची कागजात में उक्त राशि जरिये रसीद संख्या 57 दिनांक 14.04.2017 के द्वारा प्राप्त होना अंकित किया है, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। आदेशिका दिनांक 05.05.2017 के द्वारा सचिव को प्रश्नगत मकान का नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। नियम 146 के तहत पत्रांवली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड है तथा एक बयान चेनाराम के द्वारा दिया गया तथा दुसरा बयान किसके द्वारा दिया गया अंकित नहीं है, जिससे यह जाहिर होता है कि उपरोक्त बय्यान पूर्व से ही प्रिंटेड है जिसमें सुविधानुसार नाम अंकित किया जा रहा था, जो कि पूर्णतया नियमों के विपरीत है। गवाहों के बयान व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से लिए जाने चाहिए, न कि पूर्वनिर्धारित फॉर्मेट में, क्योंकि इससे गवाहों की सच्चाई और स्वतंत्रता पर संदेह होता है। ऐसे प्रिंटेड बयानों से यह आशंका बनती है कि बयान निर्माण पूर्व से तैयार है, जो न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रमाणिकता के सिद्धान्तों का उल्लंधन करता है। पूर्व से प्रिंटेड बयानों में नाम भरना, गवाह के स्वतंत्र बयान को प्रभावित करता है। मिसल की आदेशिका दिनांक 22.05.2017 के द्वारा 7 दिवस का आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये लेकिन आदेशिका दिनांक 05.06.2017 में उक्त नोटिस दिनांक 05.05.2017 को जारी होना अंकित किया है, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। हस्तगत प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया उस पर ग्राम पंचायत की मोहर नहीं है साथ ही नोटिस की पुश्त पर न तो सहजृदश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में कोई

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रिपोर्ट अंकित है और न ही दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत अटबड़ा द्वारा मिसल संख्या 57/2017–18, संकल्प संख्या 04/05.06.2017 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 15.06.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत अटबड़ा को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 17/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली